



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042021-226401
CG-DL-E-07042021-226401

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1357]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 07, 2021/चैत्र 17, 1943

No. 1357]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 07, 2021/CHAITRA 17, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2021

का.आ.1468(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 628(अ) दिनांक 10-02-2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में NH709B के कि.मी. 67.3 से कि.मी. 137.9 (ई0पी0ई0 क्रासिंग बागपत से शामली खण्ड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "17-02-2021 " को "अमर उजाला" और "टाईम्स आफ इन्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में NH709B के कि.मी. 67.3 से कि.मी. 137.9 (ई0पी0ई0 क्रासिंग बागपत से शामली खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: शामली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: शामली				
	गांव का नाम: ऐलुम				
1	137/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.021	सतीश पंवार / रगबीर सिंह / नि.ग्राम सहन्सरपाल / रगबीर सिंह / नि.ग्राम राजेश पंवार / रगबीर सिंह / नि.ग्राम करणकौर / रगबीर सिंह / नि.ग्राम ()
2	583	निजी	एग्रीकल्चर	0.0853	गोरधन सिंह / जगवीर सिंह / नि.ग्राम रवि पंवार / जनार्दन सिंह / नि.ग्राम सुभम पंवार नाबा0 14 वर्ष / जनार्दन सिंह संर0 नीलम देवी माता / नि.ग्राम नीलम देवी / जनार्दन सिंह / नि.ग्राम सतीश कुमार / जयभगवान / नि.ग्राम कमल कुमार / जयभगवान / नि.ग्राम बाला देवी / जयभगवान / नि.ग्राम विकास पंवार / रामधन सिंह / नि.ग्राम मुकुल पंवार / रामधन सिंह / नि.ग्राम नीरज पंवार पत्नी / रामधन सिंह / नि.ग्राम आशु वशिष्ठ नाबा0 16 वर्ष / दीपक कुमार संर0 सुमन शर्मा माता / नि.ग्राम प्रीति शर्मा / पुत्री दीपक कुमार/ नि.ग्राम सुमन शर्मा / दीपक कुमार/ नि.ग्राम ()
			कुल	0.1063	

[फा.स. NHAI/LANOTF/2018/PIU-Baghpatt/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2021

S.O. 1468(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 628(E) date 10-02-2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH709B on the stretch of land from Km 67.3 to Km 137.9 (E.P.E Crossing Baghpat to Shamli Section) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Amar Ujala” and “Times of India” both dated 17.02.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH709B in the stretch of land from NH709B (E.P.E Crossing Baghpat to Shamli Section) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: SHAMLI		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Shamli				
	Viilage: Ailum				
1	137/1	Private	Agriculture	0.021	Satish Panwar / Ragbir Singh /Nigram Sahansarpal / Rugbir Singh / Nigram Rajesh Panwar / Ragbir Singh / Nigram Karankaur / Ragbir Singh / Nigram
2	583	Private	Agriculture	0.0853	Gordhan Singh / Jagveer Singh / Nigram Ravi Panwar / Janardhan Singh / Nigram Subham Panwar Naba 14 years / Janardhan Singh Conservation Neelam Devi Mata / Nigram Neelam Devi / Janardhan Singh / Nigram Satish kumar / jayabhagwan / nigram Kamal Kumar / Jaibhagwan / Nigram Bala Devi / Jayabhagwan / Nigram Vikas Panwar / Ramdhan Singh / Nigram Mukul Panwar / Ramdhan Singh / Nigram Neeraj Panwar wife / Ramdhan

					Singh / Nigram Ashu Vashistha Naba 0 16 years / Deepak Kumar C/o Suman Sharma Mata / Nigram Preeti Sharma / daughter Deepak Kumar / Ph.G. Suman Sharma / Deepak Kumar / Nigram
			TOTAL	0.1063	

[F. No. NHAI/LANOTF/2018/PIU-Baghpat/3D1]
RAJESH GUPTA, Director